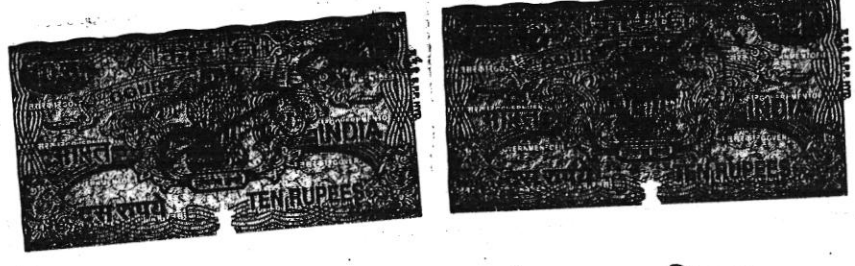

(58)

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल म0प्र0, ग्वालियर

प्रकरण कमांक /2017 निगरानी

म/निगरानी/टीकमगढ/भू.रा/2017/4719

गयाप्रसाद राजपूत पुत्रश्री कामताप्रसाद राजपूत, आयु– 65 वर्ष, व्यवसाय – कृषि, निवासी–ग्राम बपरौली, पोस्टा ऑफिस पुछीकरवंगा, तहसील निवाडी, जिला – टीकमगढ, ...आवेदक

28-11-17

28-11-17

बनाम

पे० दि० 8-12-17

म0प्र0 शासन ....अनावेदक

(S.K.Khare)
28/11/17

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0 भू–राजस्व संहिता, विरूद्व आदेश दिनांक 04/09/2017 पारित द्वारा अपर आयुक्त महोदय, सागर संभाग सागर जो प्रकरण कमांक 257 अ/6 × /16–17 में पारित कर अनुविभागीध अधिकारी महोदय निवाडी जिला टीकमगढ के प्रकरण कमांक 179/अपील/15–16 में पारित आदेश को यथावत् रखा गया है । निगरानी अन्तर्गत आदेश प्रदर्श <u>ए–1</u> से चिन्हित किया गया है।

08/12/17

श्रीमान् जी,

आवेदक की निगरानी सविनय निम्नलिखित तथ्यों एवं आधारों पर प्रस्तुत है:–

संक्षिप्त तथ्य

1– यह कि, आवेदक को न्यायालय तहसीलदार महोदय निवाडी द्वारा प्रकरण कमांक 10/अ–19 /03–04 में पारित आदेश दिनांक 09/10/2003 को भूमि खसरा नम्बर 23/2 रक्वा 0.809 है0 स्थित ग्राम बपरौली तहसील निवाडी जिला टीकमगढ का पट्टा प्रदान किया गया था । पट्टा दिनांक के पूर्व से ही आवेदक उपरोक्त आराजी पर वास्तविक रुप से काबिज होकर खेती करता आ रहा है। पट्टा मिलने के बाद से आवेदक का नाम पटवारी रिकॉर्ड में विधिवत् इन्द्राज किया गया एवं भू–अधिकार एवं ऋण पुस्तिका भी आवेदक को प्रदान की गयी । पट्टे एवं खसरा पंचशाला वा 2002–2003 से 2005–2006 की प्रति निगरानी के साथ संलग्न की जाक कमशः प्रदर्श <u>ए–2</u> एवं <u>ए–3</u> से चिन्हित किया गया है।

2– यह कि, आवेदक द्वारा किसान केडिट कार्ड बनावाने के लिये आवेदक क प्रदत्त उपरोक्त पट्टे की भूमि खसरा नम्बर 23/2 रक्वा 0.809 है0 व खसरे की कम्प्यूटरीकृत प्रतिलिपि ली तो ज्ञात हुआ कि उपरोक्त आरा पर आवेदक का नाम दर्ज ना होकर शासकीय भूमि दर्ज है ।

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण कमांक – एक/निग0/टीकमगढ़/भू.रा./2017/4719 जिला – टीकमगढ़

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
16–1–18	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री एस.के. खरे एवं अनावेदक शासन की ओर से अधिवक्ता श्री अजय चतुर्वेदी उपस्थित । उभयपक्षों को ग्राह्यता पर सुना गया । 2/ उभयपक्षों द्वारा ग्राह्यता पर दिए गए तर्कों पर विचार किया एवं आलोच्य आदेश का अवलोकन किया । आलोच्य आदेश को देखने से स्पष्ट होता है कि द्वारा नायब तहसीलदार द्वारा 9–10–2003 को प्रदत्त तथाकथित पट्टे के आधार पर संहिता की धारा 115/116 के तहत नाम दर्ज किये जाने का आवेदन लगभग वर्ष 11 में लगभग 8 वर्ष उपरांत दिया गया जो उन्होंने निरस्त किया । इस आदेश की पुष्टि दोनों अपीलीय न्यायालयों ने की है । इस प्रकार प्रकरण में तीनों अधीनस्थ न्यायालयों के समवर्ती निष्कर्ष हैं । उक्त समवर्ती निष्कर्ष क्योंकर विपरीत हैं इस संबंध में कोई ठोस वैधानिक स्थिति आवेदक अधिवक्ता द्वारा नहीं बताई जा सकी है । ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश में हस्तक्षेप का कोई आधार नहीं होने से यह निगरानी अग्राह्य की जाती है । प्रशासकीय सदस्य,	